

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी, शाहपुरा
(जिला-भीलवाड़ा) राज0

पीठसीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार मीणा, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 34/2023
जी0सी0एम0एस0 संख्या : 2023/45

अनवान

- 1- मु. कन्या पुत्री उंकार तेली निवासी रामपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- प्रेमलाल पुत्र उंकार तेली निवासी रामपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
भागीरथ पुत्र उंकार तेली निवासी रामपुरा(मृतक)
- 3- महावीर पिता भागीरथ तेली निवासी रामपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 4- किशन गोपाल पिता भागीरथ तेली निवासी रामपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 5- मु. लाली पुत्री भागीरथ तेली निवासी रामपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 6- मु. मूली पुत्री उंकार तेली निवासी रामपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 7- रामलाल पुत्र उंकार तेली निवासी रामपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 8- हजारि पुत्र उंकार तेली निवासी रामपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

—प्रार्थीगण

बनाम

- 1- केदार पुत्र हीरा गुर्जर निवासी रामपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- बालु पुत्र लादु खाती निवासी रामपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 3- भागचंद पुत्र महावीर खाती निवासी रामपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 4- गुमानसिंह पिता अमरसिंह राजपूत निवासी रामपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 5- शिवसिंह पिता अमरसिंह राजपूत निवासी रामपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 6- दलेलसिंह पुत्र अमरसिंह राजपूत निवासी रामपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 7- दूदाराम पुत्र चंदा गुर्जर निवासी रामपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 8- भोभराम पुत्र चंदा गुर्जर निवासी रामपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 9- लालाराम पुत्र चन्दा गुर्जर निवासी रामपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 10- मु. रूपी पुत्री उंकार तेली निवासी रामपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

—विपक्षीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू : 03/02/2023


उपस्थित :-

श्री अक्षयराज रेबारी : अधिवक्ता प्रार्थीगण

::- निर्णय -::

दिनांक : 13/10/2025

1. वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के पेश किया। संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि राजस्व ग्राम रामपुरा प0ह0 खामोर भू0अ0निरीक्षक तहनाल तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 850 रकबा 0.03 है0, 909 रकबा 0.27 है0, 910 रकबा 0.01 है0, 911 रकबा 0.02 है0, 912 रकबा 0.14 है0, 914 रकबा 0.02 है0, 915 रकबा 0.74 है0, 916 रकबा 0.22 है0, 917 रकबा 0.26 है0, 918 रकबा 0.01 है0, 920 रकबा 0.22 है0, 923 रकबा 0.03 है0, 924 रकबा 0.03 है0, 925 रकबा 0.01 है0, 926 रकबा 0.04 है0, 927 रकबा 0.31 है0, 929 रकबा 0.16 है0, 930 रकबा 0.32 है0, 931 रकबा 0.01 है0, 632 रकबा 0.04 है0, 933 रकबा 0.04 है0 कुल किता 25 रकबा 3.93 है0 भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबंदी प्रस्तुत की है। प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजियात की चारों दिशाओं के विपक्षीगण पड़ोसी है जो आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय एवं मेड़ों की घास काटते समय मौके पर सीमा को लेकर विवाद करते है। प्रार्थीगण दिनांक 20.02.2023 को अपनी आराजियात पर हंकाई कटाई हेतु गये तो विपक्षीगण द्वारा सीमा को लेकर विवाद किया गया। इस कारण प्रार्थीगण के वाद हेतु तारीख 20/02/2023 से पैदा होकर जारी है। प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। विपक्षीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। बावजूद सम्यक् तामिली विपक्षीगण 1, 4 लगायत 9 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा विपक्षीगण सं. 10 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ज़ोप की गयी। विपक्षीगण संख्या 2, 3 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से उनका जवाब बंद किया गया। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण अधिकक्ता की एकतरफा बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को


उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा(राज.)

दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम रामपुरा प0ह0 खामोर भू0अ0निरीक्षक तहनाल तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 850 रकबा 0.03 है0, 909 रकबा 0.27 है0, 910 रकबा 0.01 है0, 911 रकबा 0.02 है0, 912 रकबा 0.14 है0, 914 रकबा 0.02 है0, 915 रकबा 0.74 है0, 916 रकबा 0.22 है0, 917 रकबा 0.26 है0, 918 रकबा 0.01 है0, 920 रकबा 0.22 है0, 923 रकबा 0.03 है0, 924 रकबा 0.03 है0, 925 रकबा 0.01 है0, 926 रकबा 0.04 है0, 927 रकबा 0.31 है0, 929 रकबा 0.16 है0, 930 रकबा 0.32 है0, 931 रकबा 0.01 है0, 632 रकबा 0.04 है0, 933 रकबा 0.04 है0 कुल किता 25 रकबा 3.93 है0 भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज होकर स्थित है। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने के दरम्यान पक्षकारान में आपस में सीमा संबंधी विवाद बना रहता है। अतः प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी आराजियात की पत्थरगढी कराये जाने का आदेश बक्षावें।

3. हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड व संलग्न दस्तावेजात का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। संलग्न जमाबंदी के अवलोकन से प्रार्थीगण वादगस्त आराजी खसरा नम्बर 850 रकबा 0.03 है0, 909 रकबा 0.27 है0, 910 रकबा 0.01 है0, 911 रकबा 0.02 है0, 912 रकबा 0.14 है0, 914 रकबा 0.02 है0, 915 रकबा 0.74 है0, 916 रकबा 0.22 है0, 917 रकबा 0.26 है0, 918 रकबा 0.01 है0, 920 रकबा 0.22 है0, 923 रकबा 0.03 है0, 924 रकबा 0.03 है0, 925 रकबा 0.01 है0, 926 रकबा 0.04 है0, 927 रकबा 0.31 है0, 929 रकबा 0.16 है0, 930 रकबा 0.32 है0, 931 रकबा 0.01 है0, 632 रकबा 0.04 है0, 933 रकबा 0.04 है0 कुल किता 25 रकबा 3.93 है0 के अभिलिखित खातेदार है, और अभिलिखित खातेदार अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होता है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण में पत्थरगढी कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की आराजी राजस्व ग्राम रामपुरा प0ह0 खामोर भू0अ0निरीक्षक तहनाल तहसील शाहपुरा के खेत की आराजी खसरा नम्बर 850 रकबा 0.03 है0, 909 रकबा 0.27 है0, 910 रकबा 0.01 है0, 911 रकबा 0.02 है0, 912 रकबा 0.14 है0, 914 रकबा 0.02 है0, 915 रकबा 0.74 है0, 916 रकबा 0.22 है0, 917 रकबा 0.26 है0, 918 रकबा 0.01 है0, 920 रकबा 0.22 है0, 923 रकबा 0.03 है0, 924 रकबा 0.03 है0, 925 रकबा 0.01 है0, 926 रकबा 0.04 है0, 927 रकबा 0.31 है0, 929 रकबा 0.16 है0, 930 रकबा 0.32 है0, 931 रकबा 0.01 है0, 632 रकबा 0.04 है0, 933 रकबा 0.04 है0 एवं इससे लगती विपक्षीगण की आराजी का मौके पर रिकार्ड अनुसार माप करवाते हुए प्रार्थीगण की आराजी की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक तहनाल को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस तामिल करा वक्त कार्यवाही उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावें। उभयपक्षकारान में से किसी की भी पक्षकारान की मृत्यु की स्थिति में उनके विधिक वारिसान को विधिवत नोटिस तामिल करा वक्त कार्यवाही उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावें। यदि कोई सहखातेदार जो इस पत्रावली में प्रार्थी के तौर पर पक्षकार नहीं है एवं पत्थरगढी की कार्यवाही पर आपत्ति दर्ज करवाता है तो पत्थरगढी कारवाई नहीं की जाकर तदनुसार रिपोर्ट प्रेषित करें। दौराने कार्यवाही संबंधित खातेदारों के मौके कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए। प्रकरण में प्रश्नगत आराजी की सीमाओं में विवाद होने की दशा में मौका फर्द में इसका अंकन किया जाकर, सीमाओं में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करते हुए कब्जा प्राप्त करने संबंधी कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु पाबंद किया जावे। उक्त आदेश के तहत किसी भी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में फेदबदल नहीं किया जावे। प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में किसी न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं न्यायालय का स्थगन होने की दशा में पत्थरगढी की कारवाई नहीं की जावे। यदि सम्पूर्ण भूमि पर अन्य काश्तकार/व्यक्ति काबिज है तो पत्थरगढी की कार्यवाही नहीं की जाकर तदनुसार रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्थरगढी से पूर्व समस्त पक्षकारान(किसी भी पक्षकारान की मृत्यु की स्थिति में उनके विधिक वारिसान) को सूचित किया जावे। पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों। आदेश सुनाया गया।



प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि उक्तानुसार पालना की जाकर पालना रिपोर्ट भिजावें।

(सुनील कुमार मीणा)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा